निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 616) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
26 मई 2017

सं० 22/नि0सि0(डि०)–14–04/2016–728—श्री शिवसागर उपाध्याय (आई0डी0–जे0–8904), तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2574, दिनांक 05.07.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

(1) आपके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–1357, दिनांक 09.02.2011 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश तथा इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 180, दिनांक 10.02.2011 का ससमय अनुपालन नहीं किया गया है। इस तरह आपके द्वारा सरकार एवं उच्चाधिकारी के आदेश का ससमय अनुपालन नहीं कर उक्त आदेश की अवहेलना की गई है।

(2) प्रभार मुक्त होने के बाद भी आपके द्वारा रोकड़बही का प्रभार जाँच के समय तक नहीं दिया गया एवं सरकार की एक बड़ी राशि का लेखा समायोजन नहीं किया गया।

(3) तकनीकी पदाधिकारियों को जिला के कार्यों से प्रभार मुक्त करने का तत्कालीन विभागीय सचिव के पत्रांक–3817, दिनांक 03.11.2006 के निर्देश के बावजूद भी आपके द्वारा दो प्रखण्डों में प्रतिनियुक्त होकर कार्य किया गया जो आपके द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना एवं आपकी स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है।

(4) जाँच की तिथि तक आपके नाम पर लंबित रूपए 1,44,24,103.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख चौबीस हजार एक सौ तीन) का प्रभार आपके द्वारा नहीं दिया गया है जो आपकी गलत मंशा एवं सरकारी राशि के गबन को परिलक्षित करता है।

(5) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पैकेज सं०–बी0आर0–08आर–089) के अन्तर्गत सरेंजा नारायणपुर रोड से चिलबिला पथ में निम्न आरोप के लिए प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है :–

(i) पी0सी0सी0 पथ जगह–जगह पर उखड़ रहा है।
(ii) पथ के बगल में V-shape drain बनाया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

(iii) पथ में कही–कहीं कराए गए GSB में लोकल बालू पाया गया है तथा कहीं–कहीं पर कुछ पत्थर पाया गया है जो प्रथम दृष्टया विशिष्टि के अनुरूप नहीं है।

(6) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पैकेज सं०–बी0आर0–08आर–086) के अन्तर्गत धनसोई रोड से सरस्वतीपथ में निम्न आरोप के लिए प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है :–

(i) पी0सी0सी0 पथ जगह–जगह पर उखड़ रहा है।

(ii) पथ के बगल में V-shape drain बनाया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

(iii) पथ में कही–कहीं कराए गए GSB में लोकल बालू पाया गया है तथा कहीं–कहीं पर कुछ पत्थर पाया गया है, GSB की मोटाई कम है तथा प्रथम दृष्टया इसकी गुणवता विशिष्टि के अनुरूप नहीं है।

(iv) पी0सी0सी0 में Contraction Joint नियमित अन्तराल पर विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया गया है।

(v) एक ह्यूम पाईप क्लवर्ट का ले–आउट गलत जगह किया हुआ है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उक्त आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की गई एवं जाँच प्रतिवेदन से असहमति का बिन्दु निर्धारित करते हुए निर्णय हेतु संबंधित अभिलेख इस आधार पर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया कि श्री उपाध्याय का पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग है।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर विभागीय पत्रांक 2127, दिनांक 23.09.16 द्वारा गठित आरोप के सभी बिन्दुओं पर श्री उपाध्याय से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री उपाध्याय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

सम्यक् समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शिवसागर उपाध्याय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर को आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शिवसागर उपाध्याय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर को आरोप मुक्त करते हुए संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 616-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in